

7
समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

अधिहरण अपील संख्या-33/2019-20

धिरेन्द्र प्रसाद

-बनाम्-

झारखण्ड राज्य सरकार

-::आदेश::-

07.06.2022

अभिलेख उपस्थापित। पंचायत (आम) निर्वाचन-2022 के कार्य में व्यस्तता के कारण आज अभिलेख एवं उसमें संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। प्राधिकृत पदाधिकारी-सह-वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो द्वारा राज्यसात वाद संख्या-09/2017, झारखण्ड राज्य सरकार (वन क्षेत्र पदाधिकारी, तेनुघाट)-बनाम्-जितेन्द्र प्रसाद एवं अन्य में दिनांक-17.12.2019 को पारित आदेश के विरुद्ध यह अपीलवाद दायर किया गया है।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में अद्योहस्तक्षरी के न्यायालय में इसी वाद से संबंधित अधिहरण अपीलवाद सं0-11/2018-19 में दिनांक-19.07.2019 को आदेश पारित करते हुए प्राधिकृत पदाधिकारी-सह-वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो को उक्त वाद में तथ्यों की विस्तृत जाँच कर विधिवत रूप से पक्षकारों को सुनकर आदेश पारित करने हेतु को रिमांड किया गया था। फलस्वरूप निम्न न्यायालय में पुनः इस वाद की सुनवाई करते हुए दिनांक-17.12.2019 को आदेश पारित किया गया। विद्वान वन प्रमण्डल पदाधिकारी के द्वारा अपने आदेश में उल्लेख किया गया है कि जप्त लकड़ी को बिना अनुज्ञा पत्र का परिवहन किया जा रहा था साथ ही प्रश्नगत लकड़ी से संबंधित कोई भी कागजात अभियुक्तों के द्वारा जप्ती के समय नहीं प्रस्तुत किया जा सका। वाहन एवं काष्ठ को दिनांक-14.07.2017 को जप्त किया गया है जबकि अभियुक्तों के द्वारा काष्ठ क्रय की रसीद दिनांक-27.05.2017 का प्रस्तुत किया गया है। रसीद पर अंकित SI. No. भी हस्तलिखित है, जो इसके प्रमाणिकता पर संदेह उत्पन्न करता है।

विद्वान निम्न न्यायालय द्वारा उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर सीमांकित सुरक्षित वन भूमि से अवैध चिरान लकड़ी का पातन एवं बिना अनुज्ञा पत्र के परिवहन करने के जुर्म में भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन 1989) की धारा-52(3) के अन्तर्गत एक महिन्द्रा

मैक्स पिकअप भेन जिसका पंजीयन संख्या-JH-01S-1917 एवं उस पर लदे चिरान लकड़ी को राज्य सरकार के हित में राज्यसात किया गया है।

उक्त के क्रम में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य सरकार की ओर विज्ञ सरकारी अधिवक्ता, बोकारो को सुना गया।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दलील दिया गया कि अपीलकर्ता के द्वारा किसी भी भारतीय वन अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। प्रश्नगत चिरान लकड़ी मेसर्स सिंह टिम्बर, जैनामोड़ बोकारो से निजी कार्य हेतु खरीद कर ले जाया जा रहा था, जिससे संबंधित उनके पास वैध कागजात मौजूद है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि अभिलेख में ऐसा कोई कागजात संधारित नहीं है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि प्रश्नगत चिरान लकड़ी अधिसूचित एवं सीमांकित सुरक्षित वनभूमि से परिवहन किया जा रहा था। निम्न न्यायालय के द्वारा तथ्यों को विस्तृत जाँच किये बिना ही आदेश पारित कर दिया गया है, जो सरासर गलत एवं दोषपूर्ण है। प्रश्नगत वाहन व्यवसायिक है, जिससे अपीलकर्ता के पूरे परिवार का भरण-पोषण होता है। उक्त दलील के आधार पर विद्वान अधिवक्ता द्वारा जप्त प्रश्नगत महिन्द्रा पिकअप भेन, पंजीयन संख्या-JH-01S-1917 को विमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

राज्य सरकार की ओर से विज्ञ सरकारी अधिवक्ता बोकारो द्वारा दलील दिया गया कि भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन 1989) की धारा-2(4)(a) के अनुसार प्रश्नगत चिरान लकड़ी वन पदार्थ है, जिसे अधिसूचित सुरक्षित वनभूमि से अवैध रूप से परिवहन किये जाने के क्रम में प्रश्नगत वाहन को पकड़ा गया है। जप्ती के समय लकड़ी के संदर्भ में चालक के द्वारा किसी भी तरह का कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे प्रतीत होता है कि प्रश्नगत लकड़ी को बिना अनुज्ञा पत्र का परिवहन किया जा रहा था। अपीलकर्ता के द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन 1989) की धारा-33, 41 एवं 42 बिहार काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1990 की धारा-5, 9 एवं 10 का उल्लंघन किया गया है। अतः अपीलकर्ता के अपील आवेदन पर विचार करना उचित नहीं होगा।

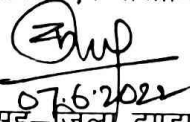


उभय पक्षों के दलील एवं अभिलेख में संधारित कागजातों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन 1989) की धारा-2(4)(a) के अनुसार प्रश्नगत चिरान की लकड़ी वन पदार्थ है, जिसे बिना अनुज्ञा पत्र का परिवहन किया जा रहा था। लकड़ी लदा प्रश्नगत वाहन को दिनांक-14.07.2017 को जप्त किया गया है जबकि अपीलकर्ता के द्वारा उसके क्रय की रसीद, जप्ती के बाद की तिथि (दिनांक-27.05.2017) का प्रस्तुत किया गया है। अतः मेसर्स सिंह टिम्बर, जैनामोड़ बोकारो के द्वारा निर्गत रसीद दिनांक-27.05.2017 को प्रश्नगत लकड़ी के संदर्भ में प्रसांगिक नहीं माना जा सकता है क्योंकि जप्ती के समय जाँच दल के समक्ष लकड़ी से संबंधित कोई भी कागजात अपीलकर्ता के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका। उल्लेखनीय है कि कोई भी काष्ठ, जलावन की लकड़ी, चारकोल, कत्था, जल आदि किसी स्थान पर तब तक न तो आयात हो सकेगा और न निर्यात या हटाया जा सकेगा जब तक इस निमित्त एक लिखित अनुज्ञा-पत्र (परमिट) वन पदाधिकारी से पहले न प्राप्त कर लिया गया हो। प्रश्नगत वाहन को गैर कानूनी कार्यों (वन भूमि से लकड़ी के अवैध परिवहन) के लिए उपयोग किया गया है, जो कि वन अपराध है। ऐसी स्थिति में विद्वान अधिवक्ता के द्वारा जप्त वाहन को विमुक्त करने संबंधी दिये गए दलील का कोई ठोस आधार नहीं है। इसलिए भारतीय वन अधिनियम की धारा-52(5) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत अपीलकर्ता को कोई छूट नहीं दी जा सकती है।

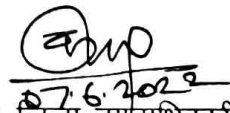
वर्णित परिस्थिति में प्राधिकृत पदाधिकारी-सह-वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो द्वारा राज्यसात वाद संख्या-09/2017, झारखण्ड राज्य सरकार (वन क्षेत्र पदाधिकारी, तेनुघाट)-बनाम्-जितेन्द्र प्रसाद एवं अन्य में दिनांक-17.12.2019 को पारित आदेश को यथावत रखते हुए अपीलकर्ता के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है एवं वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।


07.6.2022

समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।


07.6.2022

समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी,
बोकारो।